ए.

के. परमशिवम

वी.

द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड और ए. एन. आर. (2019 की सिविल अपील संख्या 9286)

बी.

सितंबर 06,2022

[इंदिरा बनर्जी और जे**.** के**.** माहेश्वरी**,** जे**.** जे**.]**

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016:एसएस।3(7), 3(8), 5(5 ए), 7,62-निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया-सी. आई. आर. पी. की शुरुआत-उधारकर्ता वित्तीय लेनदार को ऋण चुकाने में विफल रहे-आवेदन यू/एस।7 निगमित देनदार के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू करने के लिए वित्तीय लेनदार द्वारा; और वह निगमित गारंटर जो ऋणकर्ताओं द्वारा लिए गए ऋणों के लिए विस्तारित गारंटी के साथ ऋण का पुनः भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है-गारंटर का मामला कि वे निगमित देनदार नहीं थे-एन. सी. एल. टी. द्वारा स्वीकार किया गया और एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा बरकरार रखा गया आवेदन-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःगारंटर की देनदारी प्रमुख उधारकर्ता के साथ सह-व्यापक है-यह वित्तीय लेनदार के लिए खुला था कि वह गारंटर के खिलाफ पहले प्रमुख उधारकर्ता पर मुकदमा किए बिना आगे बढ़े, उसके द्वारा दी गई गारंटी के संबंध में, एक बार जब उधारकर्ता चूक करता है-गारंटर तब कॉर्पोरेट देनदार होता है।

सी.

डी.

ई.

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा**,**

पकड़नाःदिवाला और दिवालियापन संहिता**, 2016** की धारा **7** के तहत**,** सी**.** आई**.** आर**.** पी**.** को एक ऐसी निगमित संस्था के खिलाफ शुरू किया जा सकता है जिसने निगमित व्यक्ति को उपार्जित वित्तीय ऋण के रूप में एक गैर**-**निगमित संस्था के बकाया को सुरक्षित करने

की गारंटी दी है।गारंटर तब कॉर्पोरेट देनदार होता है।गारंटर की देनदारी प्रमुख उधारकर्ता की देनदारी के साथ सह-व्यापक है।वित्तीय लेनदार के लिए यह खुला था कि वह पहले प्रधान उधारकर्ता पर मुकदमा किए बिना गारंटर के खिलाफ आगे बढ़े।न्यायनिर्णायक प्राधिकरण **(**एन**.** सी**.** एल**.** टी**.)** और अपीलीय प्राधिकरण **(**एन**.** सी**.** एल**.** ए**.** टी**.)** के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।**[**पैरा **13,16,17] [104-**ए-बी**; 109-**बी**,** सी**]**

एफ.

जी.

एच.

100 ए.

101

के. परमशिवम बनाम करूर वैश्य बैंक लिमिटेड।

लक्ष्मी पट सुराना बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य

(2021) 8 एससीसी **481:[2021] 2** एस**.** सी**.** आर**. 924-**पर निर्भर।मामला कानून संदर्भ

[2021] 2 एससीआर **924**

उस पर भरोसा करें

पैरा **12**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2019 की सिविल अपील संख्या 9286।

बी.

2019 की कंपनी अपील (ए. टी.) (आई. एन. एस.) No.538 में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के दिनांकित 18.11.2019 के निर्णय और आदेश से।

सी.

मेसर्स एसीएम लीगल के लिए अमितेश चंद्र मिश्रा, पी. जे. श्रीगणेश, अंकित चतुर्वेदी, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

निखिल नय्यर, वी. प्रकाश, वरिष्ठ अधिवक्ता।, टी. वी. एस. राघवेंद्र श्रेयस, विजय कुमार, सुश्री सुगंधा बत्रा, सिद्धार्थ वासुदेव, अयंगर शुभ्रांजनी अनंत, आदर्श मोहनदास, सुश्री आर. सौम्या, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी, जे.

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 62 के तहत यह अपील, जिसे इसके बाद "आई. बी. सी". के रूप में संदर्भित किया गया है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) द्वारा 18 नवंबर 2019 को पारित एक अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ है, जिसमें न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा 8 अप्रैल 2019 को पारित एक आदेश के खिलाफ कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) No.538 को खारिज कर दिया गया था, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत कॉर्पोरेट ऋणदाता महाराजा, थीम पार्क्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) शुरू करने के लिए दायर आवेदन को स्वीकार किया गया था।

ई.

एफ.

2. अपीलकर्ता कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी महाराजा थीम पार्क्स एंड रिसॉर्ट्स का प्रवर्तक, शेयरधारक और निलंबित/डिस्चार्ज निदेशक है।प्रत्यर्थी संख्या 1, जिसे इसके बाद "वित्तीय लेनदार" के रूप में संदर्भित किया गया है, के पास निम्नलिखित तीन संस्थाओं को उन्नत ऋण सुविधाएं थीं:-

जी.

एच.

ए.

(i) श्री महाराजा रिफाइनरीज, एक साझेदारी फर्म;

((ii) श्री महाराजा इंडस्ट्रीज, के. परमशिवम की स्वामित्व वाली संस्था; और

(iii) श्री महाराजा एंटरप्राइजेज, पी. सत्यमूर्ति की स्वामित्व वाली संस्था

बी.

3. महाराजा थीम पार्क और रिसॉर्ट्स तीनों उधारकर्ताओं द्वारा लिए गए ऋणों के लिए गारंटर थे।उधारकर्ता वित्तीय लेनदार को उनके द्वारा देय ऋण चुकाने में विफल रहे।

4. 24 अक्टूबर 2018 को या उसके आसपास, वित्तीय लेनदार ने महाराजा थीम पार्क और रिसॉर्ट्स के खिलाफ सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आई. बी. सी. की धारा 7 सी. पी./1314/आई. बी./2018 के तहत एक आवेदन दायर किया।उक्त आवेदन में वित्तीय लेनदार ने कहा कि महाराजा थीम पार्क और रिसॉर्ट्स ने प्रत्येक उधारकर्ता द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कॉर्पोरेट गारंटी दी थी।ऋण चुकाने में उधारकर्ताओं की विफलता पर, महाराजा थीम पार्क और रिसॉर्ट्स, गारंटर के रूप में, ऋण चुकाने के लिए उत्तरदायी हो गए।

सी.

डी.

5. महाराजा थीम पार्क्स एंड रिसॉर्ट्स ने आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका पर विचार करने के लिए एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति जताते हुए न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष अपना जवाबी बयान दायर किया, इस तर्क पर कि कंपनी, महाराजा थीम पार्क्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एक कॉर्पोरेट देनदार नहीं थी, जिसे आई. बी. सी. की धारा 3 (8) में परिभाषित किया गया है।

ई.

इसका अर्थ है, "एक निगमित व्यक्ति जो किसी भी व्यक्ति का ऋणी है।" यह.

यह तर्क दिया गया कि महाराजा थीम पार्क और रिसॉर्ट्स पर वित्तीय लेनदार का कोई वित्तीय ऋण नहीं है।

6. अपीलार्थी का तर्क है कि महाराजा थीम पार्क और रिसॉर्ट्स भी आई. बी. सी. की धारा 5 (5 ए) में 'कॉर्पोरेट गारंटर' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिसमें लिखा है 'कॉर्पोरेट गारंटर'।

एफ.

इसका अर्थ है एक निगमित व्यक्ति जो एक निगमित देनदार को गारंटी के अनुबंध में प्रतिभूति है।" श्री मिश्रा, की ओर से पेश हुए

अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि महाराजा थीम पार्क और रिसॉर्ट्स ने किसी कॉर्पोरेट व्यक्ति को दिए गए किसी भी ऋण की गारंटी नहीं दी थी।

जी.

7. श्री मिश्रा ने आई. बी. सी. की धारा 3 (7) में 'निगमित व्यक्ति' की परिभाषा का उल्लेख किया जिसमें कहा गया हैः-

“3. ...

(7) “निगमित व्यक्ति "से कंपनी अधिनियम, 2013 (क का 18) की धारा 2 के खंड (20) में परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है।

एच.

103

के. परमशिवम बनाम करूर वैश्य बैंक लिमिटेड [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

2013), एक सीमित देयता भागीदारी, जैसा कि सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (एन) में परिभाषित किया गया है, या कोई अन्य व्यक्ति जिसे किसी भी कानून के तहत सीमित देयता के साथ शामिल किया गया है, लेकिन इसमें कोई वित्तीय सेवा प्रदाता शामिल नहीं होगा।

बी.

8. श्री मिश्रा ने तर्क दिया कि आई. बी. सी. की धारा 5 (5 ए), धारा 3 (7) और धारा 3 (8) के संयुक्त अध्ययन पर, यह स्पष्ट है कि एक कॉर्पोरेट गारंटर एक कॉर्पोरेट देनदार को गारंटी के अनुबंध में जमानतदार है।उधारकर्ता जो निगमित देनदार नहीं हैं, महाराजा थीम पार्क और रिसॉर्ट्स निगमित गारंटर नहीं हैं जैसा कि आईबीसी की धारा 5 (5 ए) में परिभाषित किया गया है।

सी.

9. 8 अप्रैल 2019 के एक आदेश द्वारा, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत याचिका को स्वीकार किया और महाराजा थीम पार्क और रिसॉर्ट्स के खिलाफ सी. आई. आर. पी. की शुरुआत की।प्रत्यर्थी संख्या 2 को अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया गया था।

डी.

10. न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के 8 अप्रैल 2019 के आदेश से व्यथित होकर, सी. आई. आर. पी. के लिए आवेदन स्वीकार करते हुए, अपीलार्थी ने एक अपील दायर की।अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को एन. सी. एल. ए. टी. (अपीलीय प्राधिकरण) द्वारा विवादित निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।11. अपीलार्थी की ओर से श्री अमितेश चंद्र मिश्रा ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा आई. बी. सी. की धारा 61 के तहत दायर अपील को अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि कंपनी, महाराजा थीम पार्क और रिसॉर्ट्स, एक कॉर्पोरेट गारंटर है, इस तथ्य पर विचार किए बिना कि महाराजा थीम पार्क और रिसॉर्ट्स कॉर्पोरेट गारंटर की परिभाषा के दायरे में

नहीं आते हैं, और इसलिए इसके खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू नहीं किया जा सकता है।
12. प्रत्यर्थी वित्तीय लेनदार की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री निखिल नय्यर ने कहा कि इस मुद्दे का जवाब दिया गया है कि क्या आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत एक वित्तीय लेनदार द्वारा, एक कॉर्पोरेट व्यक्ति के खिलाफ, उस कॉर्पोरेट व्यक्ति द्वारा दी गई कॉर्पोरेट गारंटी के संबंध में, प्रमुख उधारकर्ता को दिए गए ऋण के संबंध में, जो एक कॉर्पोरेट व्यक्ति नहीं है, कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

ई.

एफ.

जी.

इस न्यायालय द्वारा लक्ष्मी पट सुराना बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य 1.

1 (2021) 8 एस. सी. सी. 481

एच.

13. आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत, सी. आई. आर. पी. को एक ऐसी निगमित संस्था के खिलाफ शुरू किया जा सकता है जिसने निगमित व्यक्ति को उपार्जित वित्तीय ऋण के रूप में एक गैर-निगमित संस्था के बकाया को सुरक्षित करने की गारंटी दी है, उसके द्वारा दी गई गारंटी के संबंध में, एक बार जब उधारकर्ता चूक करता है।गारंटर तब कॉर्पोरेट देनदार होता है।

14. लक्ष्मी पट सुराना (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः-

बी.

“19. यह अब एक पूर्ण संहिता नहीं है-ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने, ऋण की उपलब्धता और सरकारी बकाया के भुगतान की प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन और भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की स्थापना सहित सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए समयबद्ध तरीके से निगमित व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवालियापन समाधान से संबंधित कार्यों और कार्यवाहियों के लिए प्रावधान और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए।

सी.

डी.

***

22. "वित्तीय लेनदार" शब्द को धारा 5 (7) में परिभाषित किया गया है जिसे धारा 3 (10) आई. बी. सी. में "लेनदार" अभिव्यक्ति के साथ पढ़ा गया है, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति जिसे वित्तीय ऋण दिया गया है और इसमें एक व्यक्ति शामिल है जिसे ऐसा ऋण कानूनी रूप से सौंपा गया है या हस्तांतरित किया गया है।इसका मतलब है कि आवेदक एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस पर वित्तीय ऋण बकाया है।"वित्तीय ऋण" शब्द को धारा 5 (8) में परिभाषित किया गया है।उसमें विनिर्दिष्ट अन्य श्रेणियों में, यह ब्याज के साथ एक ऋण हो सकता है, जिसे धन के समय मूल्य के लिए प्रतिफल के विरुद्ध वितरित किया जाता है और इसमें उसी खंड के उपखंड (ए) से (एच) में निर्दिष्ट किसी भी वस्तु के लिए किसी भी गारंटी या क्षतिपूर्ति के संबंध में किसी भी दायित्व की राशि शामिल होगी।धारा 5 (8) आई. बी. सी. के उपखंड (i) में यह प्रावधान किया गया है कि प्रमुख उधारकर्ता द्वारा किए गए चूक के परिणामस्वरूप निगमित व्यक्ति द्वारा दी गई गारंटी के संबंध में दायित्व को अपने दायरे में लिया जाए।"ऋण" शब्द को संहिता की धारा 3 (11) में अलग से परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "एक दावे" के संबंध में दायित्व या दायित्व जो किसी भी व्यक्ति से देय है और जिसमें वित्तीय ऋण और परिचालन ऋण शामिल हैं।अभिव्यक्ति "दावा" निश्चित रूप से ए होगा

ई.

एफ.

जी.

एच.

प्रमुख उधारकर्ता द्वारा किए गए चूक के कारण एक गारंटर होने के नाते कॉर्पोरेट व्यक्ति के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए वित्तीय लेनदार के अधिकार को कवर करता है।अभिव्यक्ति "दावा" को धारा 3 (6) में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है भुगतान का अधिकार, चाहे वह अधिकार निर्णय, निश्चित, विवादित, निर्विवाद, कानूनी, न्यायसंगत, सुरक्षित या असुरक्षित तक सीमित हो या नहीं।इसका अर्थ कुछ समय के लिए लागू किसी भी कानून के तहत अनुबंध के उल्लंघन के लिए उपचार का अधिकार भी है, यदि इस तरह के उल्लंघन से निर्दिष्ट मामलों के संबंध में भुगतान का अधिकार पैदा होता है।

बी.

23. निस्संदेह, कार्रवाई का अधिकार या कारण ऋणदाता (वित्तीय लेनदार) को प्रमुख उधारकर्ता के साथ-साथ गारंटर के खिलाफ संयुक्त रूप से और अलग-अलग कार्य करते हुए ऋण की राशि के पुनर्भुगतान में चूक करने की स्थिति में समान रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।यह तब भी गारंटर द्वारा किए गए चूक का मामला होगा, यदि और जब प्रमुख उधारकर्ता ऋण की राशि के संबंध में अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है। क्योंकि, गारंटर का दायित्व ऋण चुकाने के लिए प्रमुख उधारकर्ता के साथ सह-व्यापक और समान है, जैसा कि अनुबंध अधिनियम की धारा 128 में बताया गया है। इस तरह के चूक के परिणामस्वरूप, धारा 3 (8) आई. बी. सी. के अर्थ के भीतर, गारंटर की स्थिति एक देनदार या एक कॉर्पोरेट देनदार में परिवर्तित हो जाती है, यदि वह एक कॉर्पोरेट व्यक्ति होता है। क्योंकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, धारा 3 (12) आई. बी. सी. में "चूक" पद को ऋण का भुगतान न करने के लिए भी परिभाषित किया गया है, जब ऋण की राशि का पूरा या कोई हिस्सा या किस्त देय या देय हो गई है और ऋणी या कॉर्पोरेट ऋणी द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, जैसा भी मामला हो।24. एक प्राथमिकता, संहिता के प्रावधानों के संदर्भ में, यदि गारंटर एक कॉर्पोरेट व्यक्ति है [जैसा कि धारा 3 (7) आई. बी. सी. में परिभाषित किया गया है], तो यह धारा 3 (8) आई. बी. सी. के अर्थ के भीतर "कॉर्पोरेट देनदार" अभिव्यक्ति के दायरे में आएगा। 25.धारा 3 (37) में निहित सामान्य प्रावधान का विज्ञापन करना भी उपयोगी हो सकता है।यह अभिनिर्धारित करता है कि संहिता में उपयोग किए गए और परिभाषित नहीं किए गए, लेकिन उसमें निर्दिष्ट अधिनियमों में परिभाषित किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ उन अधिनियमों में क्रमशः दिए गए होंगे।इस प्रावधान से समर्थन प्राप्त करते हुए, यह पालन करना चाहिए कि ऋणदाता एक होगा

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

संहिता के अर्थ के भीतर वित्तीय लेनदार।प्रमुख उधारकर्ता एक निगमित व्यक्ति हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन यदि कोई निगमित व्यक्ति किसी प्रमुख उधारकर्ता के निगमित व्यक्ति नहीं होने के संबंध में ऋण लेनदेन के लिए गारंटी देता है, तो भी यह धारा 3 (8) आई. बी. सी. में "निगमित देनदार" अभिव्यक्ति के अर्थ में शामिल होगा। 26.इस प्रकार समझा जाए तो, अपीलार्थी के इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि चूंकि प्रमुख उधारकर्ता एक

निगमित व्यक्ति नहीं है, इसलिए वित्तीय लेनदार उस निगमित व्यक्ति के खिलाफ धारा 7 आई. बी. सी. के तहत उपचार का आह्वान नहीं कर सकता था जिसने केवल ऐसे ऋण खाते के लिए गारंटी की पेशकश की थी।वह कार्रवाई अभी भी गारंटर के खिलाफ एक कॉर्पोरेट देनदार होने के नाते, प्रमुख उधारकर्ता द्वारा किए गए चूक के परिणामस्वरूप आगे बढ़ सकती है।धारा 7 आई. बी. सी. की चौड़ाई को सीमित करने का कोई कारण नहीं है, भले ही कानून कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू करने की अनुमति देता हो, अगर और जब प्रमुख उधारकर्ता द्वारा चूक की जाती है।कारण, बकाया देय राशि का भुगतान करने के लिए गारंटर का दायित्व और दायित्व सह-व्यापक रूप से सक्रिय हो जाएगा।

बी.

सी.

डी.

27. इस स्थिति से उबरने के लिए, धारा 5 (5-ए) आई. बी. सी. पर बहुत अधिक निर्भरता रखी गई थी, जो "कॉर्पोरेट गारंटर" अभिव्यक्ति को एक कॉर्पोरेट व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है, जो एक कॉर्पोरेट देनदार को गारंटी के अनुबंध में मुचलका है।इस परिभाषा को एक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, जो 6-6-2018 पर लागू हुआ है।यह प्रावधान, जैसा कि प्रत्यर्थीगणओं द्वारा उचित रूप से आग्रह किया गया है, अनिवार्य रूप से एक कॉर्पोरेट देनदार के संदर्भ में है, जिसके खिलाफ सी. आई. आर. पी. को संशोधित धारा 60 आई. बी. सी. के संदर्भ में शुरू किया जाना है, जो संशोधन 2018 के उसी संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया है।यह परिवर्तन एन. सी. एल. टी. को उसी लेन-देन से संबंधित उसी न्यायाधिकरण में निगमित देनदार और उसके निगमित गारंटर के दिवाला समाधान या परिसमापन प्रक्रियाओं से निपटने के लिए सशक्त बनाने के लिए था, जिसका उस स्थान पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है जहां निगमित देनदार का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे ऋण के भुगतान में चूक की स्थिति में, गैर-निगमित व्यक्ति द्वारा सुरक्षित ऋण राशि की गारंटी के संबंध में किसी निगमित व्यक्ति के खिलाफ धारा 7 आई. बी. सी. के तहत कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

ए.

28. अपीलार्थी के उपरोक्त तर्क को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप धारा 7 आई. बी. सी. में आने वाली "निगमित देनदार" अभिव्यक्ति को कम या संकुचित कर दिया जाएगा, जिसका अर्थ है एक निगमित व्यक्ति, जो किसी भी व्यक्ति का ऋण लेता है।एक निगमित व्यक्ति के "ऋण" का अर्थ किसी दावे के संबंध में एक दायित्व या दायित्व होगा जो किसी भी व्यक्ति से देय है और इसमें वित्तीय ऋण और परिचालन ऋण शामिल हैं।धारा 3 (11) में "ऋण" अभिव्यक्ति इतनी व्यापक है कि इसमें किसी भी व्यक्ति के ऋण खाते के संबंध में उसके द्वारा दी गई गारंटी के कारण एक निगमित व्यक्ति का दायित्व शामिल है, जिसमें बाद वाले द्वारा किए गए चूक की स्थिति में निगमित व्यक्ति नहीं होना भी शामिल है।यह अभी भी निगमित व्यक्ति का एक "वित्तीय ऋण" होगा, जो धारा 5 (8) आई. बी. सी. के अर्थ के भीतर उसके द्वारा दी गई गारंटी से उत्पन्न होगा।

बी.

सी.

29. विशेष रूप से, "कॉर्पोरेट गारंटी" अभिव्यक्ति को संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है।जबकि, अभिव्यक्ति "कॉर्पोरेट गारंटर" को धारा 5 (5-ए) आई. बी. सी. में परिभाषित किया गया है। यदि विधायिका किसी ऐसे निगमित व्यक्ति को, जो निगमित व्यक्ति नहीं है, किसी व्यक्ति द्वारा सुरक्षित ऋण के संबंध में गारंटी की पेशकश कर रहा है, धारा 7 में आने वाली "निगमित देनदार" अभिव्यक्ति से बाहर करने का इरादा रखती है, तो उसने संहिता में ऐसा प्रावधान किया होगा [कम से कम जब धारा 5 (5-ए) को "निगमित गारंटर" को परिभाषित करने वाली अभिव्यक्ति के रूप में जोड़ा गया था]।यह विधायिका के लिए भी खुला था कि वह धारा 7 आई. बी. सी. में संशोधन करे और "निगमित देनदार" अभिव्यक्ति को एक उपयुक्त अभिव्यक्ति से प्रतिस्थापित करे।यह धारा 3 (8) में भी संशोधन कर सकता था ताकि एक ऐसी संस्था के ऋण खाते के लिए दी गई गारंटी से उत्पन्न दायित्व को बाहर किया जा सके जो एक निगमित व्यक्ति नहीं है।इसी तरह, यह धारा 5 (8) आई. बी. सी. में "वित्तीय ऋण", धारा 3 (6) में "दावा", धारा 3 (11) में "ऋण" और धारा 3 (12) में "चूक" अभिव्यक्ति में भी संशोधन कर सकता था।समकालीन विधायी परिवर्तनों में इस प्रभाव का कोई संकेत नहीं है।

डी.

ई.

एफ.

30. "निगमित देनदार" शब्द को धारा 3 (8) में परिभाषित किया गया है जो समग्र रूप से संहिता पर लागू होता है।जबकि, धारा 5 (5-ए) में "कॉर्पोरेट गारंटर" अभिव्यक्ति केवल

भाग II आई. बी. सी. पर लागू होती है। शासी प्रावधानों के सामंजस्यपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण निर्माण पर, निगमित व्यक्ति को दायित्व से बाहर निकालना संभव नहीं है।

जी.

एच.

निगमित देनदार) निगमित व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को दिए गए ऋण के संबंध में उसके द्वारा दी गई गारंटी के कारण उत्पन्न होता है।गारंटर की देनदारी प्रमुख उधारकर्ता की देनदारी के साथ सह-विस्तारित होती है।धारा 7 के तहत उपाय राशि की वसूली के लिए नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट देनदार के पुनर्गठन और दिवालिया समाधान के लिए है जो अपने ऋण का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है और उस संबंध में चूक करता है।सामान्य रूप से अध्याय II आई. बी. सी. और विशेष रूप से धारा 7 की कठोरताओं से बचने के लिए, निगमित देनदार के लिए ऋण का भुगतान करने के लिए खुला है, जो देय और देय हो गया था और जिसका भुगतान प्रमुख उधारकर्ता द्वारा नहीं किया जाता है।"

बी.

सी.

15. इस मुद्दे का जवाब इस अदालत ने लक्ष्मी पट सुराना (ऊपर) में दिया है कि क्या प्रमुख उधारकर्ता के खिलाफ कार्यवाही किए बिना कॉर्पोरेट गारंटर के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू की जा सकती है।संबंधित पैराग्राफ नीचे दिए गए हैं:-

"21. धारा 7 एक सक्षम प्रावधान है, जो वित्तीय लेनदार को एक कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ सी. आई. आर. पी. शुरू करने की अनुमति देता है।निगमित ऋणी प्रमुख ऋणी हो सकता है।यदि और जब प्रमुख उधारकर्ता/देनदार (चाहे वह एक कॉर्पोरेट व्यक्ति हो या अन्यथा) अपने ऋण के भुगतान में चूक करता है, तो यह गारंटी की पेशकश करने वाला कॉर्पोरेट देनदार का दर्जा ग्रहण करने वाला एक कॉर्पोरेट व्यक्ति भी हो सकता है।"

डी.

ई.

***

23. निस्संदेह, कार्रवाई का अधिकार या कारण ऋणदाता (वित्तीय लेनदार) को प्रमुख उधारकर्ता के साथ-साथ गारंटर के खिलाफ संयुक्त रूप से और अलग-अलग कार्य करते हुए ऋण की राशि के पुनर्भुगतान में चूक करने की स्थिति में समान रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।यह तब भी गारंटर द्वारा किए गए चूक का मामला होगा, यदि और जब प्रमुख

उधारकर्ता ऋण की राशि के संबंध में अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है। क्योंकि, गारंटर का दायित्व ऋण चुकाने के लिए प्रमुख उधारकर्ता के साथ सह-व्यापक और समान है, जैसा कि अनुबंध अधिनियम की धारा 128 में बताया गया है। इस तरह के चूक के परिणामस्वरूप, धारा 3 (8) आई. बी. सी. के अर्थ के भीतर, गारंटर की स्थिति एक देनदार या एक कॉर्पोरेट देनदार में परिवर्तित हो जाती है, यदि वह एक कॉर्पोरेट व्यक्ति होता है। के लिए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, अभिव्यक्ति ए

एफ.

जी.

एच.

109

के. परमशिवम बनाम करूर वैश्य बैंक लिमिटेड [इंदिरा बनर्जी, जे.]

“धारा 3 (12) आई. बी. सी. में "चूक" को ऋण का भुगतान न करने के रूप में भी परिभाषित किया गया है, जब ऋण की राशि का पूरा या कोई हिस्सा या किश्त देय या देय हो जाता है और ऋणी या कॉर्पोरेट ऋणी द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

16. इस अपील में उठाए गए मुद्दों का निपटारा इस न्यायालय द्वारा लक्ष्मी पट सुराना (ऊपर) में किया जाता है।जैसा कि इस न्यायालय द्वारा लक्ष्मी पट सुराना (उपरोक्त) में अभिनिर्धारित किया गया है, गारंटर का दायित्व प्रधान उधारकर्ता के दायित्व के साथ सह-व्यापक है।इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लक्ष्मी पट सुराना (ऊपर) में दिया गया निर्णय इस पीठ के लिए बाध्यकारी है।वित्तीय लेनदार के लिए यह खुला था कि वह पहले प्रधान उधारकर्ता पर मुकदमा किए बिना गारंटर के खिलाफ आगे बढ़े।

बी.

सी.

17. हमें न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) और अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है।18. इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

डी.

निधि जैन और अनुराग भास्कर

याचिका खारिज कर दी गई।

(सहायकः राहुल कुमार, एलसीआरए)

ई.

एफ.

जी.

एच.